बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–:: आदेश ::–

पटना–15, दिनांक................

श्री संजय कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–869 / 2024, (1022 / 2023), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर पूर्वी, सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध विभागीय कार्यों के निष्पादन में शिथिलता बरतने, बार–बार विभाग स्तर से एवं मुख्य सचिव से निदेश दिये जाने के बावजूद भी उनके क्रियाकलापों में कोई सुधार नहीं होने, दाखिल खारिज अपीलवादों को लंबित रखने तथा ऑफिशियल लॉगिंग का उपयोग नहीं करके अपने निजी लॉगिंग से वाद दायर करने संबंधी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–754, दिनांक– 15.05.2025 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के लिए संकल्प ज्ञापांक–10065, दिनांक–02.06.2025 (शुद्धि पत्र ज्ञापांक–10103, दिनांक–03.06.2025) द्वारा श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही, संकल्प ज्ञापांक–14942, दिनांक–11.08.2025 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है।

श्री कुमार द्वारा निलंबन आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि:–

(i) श्री कुमार के विरूद्ध कोई प्रशासनिक चूक या वित्तीय गबन / वित्तीय अनियमितता / सरकारी राशि के दुरूपयोग से संबंधित आरोप प्रतिवेदित नहीं है और न ही इनके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला है।

(ii) कार्य में शिथिलता संबंधी लगाये गये आरोप के संबंध में इनका कहना है कि विवरणी से स्पष्ट है अन्य कई भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं से अपेक्षाकृत अधिक वाद इनके द्वारा निष्पादित किया गया है।

श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। विचारोपरांत पाया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय कार्यवाही चल रही है एवं सम्प्रति संचालन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। विभागीय स्तर पर गठित समिति द्वारा भी सम्पन्न बैठक में श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित रहने के कारण निलंबन से मुक्त किये जाने पर विचार नहीं किया गया।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री संजय कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–869 / 2024, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित द्वारा निलंबन के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन
ह0 / –
(उमेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–08 / आरोप–01–13 / 2025 सा0प्र0......5589...... **/ पटना–15, दिनांक**....24.3.26

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि–आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / श्री संजय कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–805 / 2026, (869 / 2024) सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, 29 एवं आई.टी. मैनेजर(शीर्ष–09 के अंतर्गत विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.3.26

सरकार के अवर सचिव।

Com-14 E:\Office data\Prad Kr\Sankalap.docx